भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1848

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान केंद्रों की वित्तीय और कार्यात्मक स्थिरता

†1848. श्री कोटा श्रीनिवास पूज़ारीः
श्री दुलू महतोः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः
सुश्री कंगना रनौतः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री दिलेश्वर कामैतः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
डॉ. भोला सिंहः
श्री राधेश्याम राठियाः
श्री दामोदर अग्रवालः
डॉ. बायरेड्डी शबरीः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री सुरेश कुमार कश् यपः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री गणेश सिंहः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री आलोक शर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी सौ स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) की वित्तीय और परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं और उनके सतत संचालन के लिए राजस्व मॉडल क्या है;

(ख) गैर-स्मार्ट शहरों में स्मार्ट शहर प्रणाली की सफल डिजिटल समाधान व्यवस्था का अनुकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने आईसीसीसी और अन्य शहरी प्लेटफार्मों के माध्यम से एकत्रित नागरिक डेटा की गोपनीयता और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित डेटा प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कार्यों का शहर-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सभी 100 स्मार्ट शहरों को प्रासंगिक परामर्शिकाएं जारी करके, मूल्यांकन द्वारा और निगरानी तंत्रों से अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) की वित्तीय तथा कार्यात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने की सलाह दी है। दिनांक 10 जून, 2025 के पत्र संख्या एफ. सं. के-15016/6/2024-एससी-I/यूएस-II के दवारा जारी "स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाए गए एसपीवी का उद्देश्य पुन: निर्धारण" पर परामर्शिका संख्या 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश देती है कि वे दीर्घकालिक संचालन हेतु आत्मनिर्भर व्यावसायिक योजनाएं, डेटा-साझाकरण तंत्र और मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करने में आईसीसीसी की सहायता करें। "शहरों को साइबर सुरक्षित बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन के निष्कर्ष पर" दिनांक 25 नवंबर, 2025 का पत्र सं. के-14012/101(16)/2025-एनयूडीएम/(ई-9202547) द्वारा जारी, परामर्शिका संख्या 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसआर साझेदारी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था और अन्य लागत-वसूली तंत्र सहित व्यवहार्य राजस्व-उत्पादन मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, कार्यात्मक उपयोग के मामले, शासन संरचना, मानव संसाधन प्रबंधन, अंतर-विभागीय समन्वय तथा वित्तीय नियोजन जैसे प्रमुख

मानदंडों का मूल्यांकन करने के लिए आईसीसीसी मैच्योरिटी मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के आधार पर, मंत्रालय ने चिह्नित कमियों को दूर करने के लिए शहरों के लिए कार्य हेतु मदों की अनुशंसा की है।

(ख) मंत्रालय ने सफल समाधानों को दोहराने में सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवस्थित क्षमता निर्माण सत्र के आयोजन के साथ-साथ व्यापक मैनुअल, सारांश और सर्वोत्तम प्रथाएं प्रकाशित की हैं। ये पहलें ज्ञान साझा करने, मानकीकरण को बढ़ावा देने तथा देश भर के शहरी स्थानीय निकायों में सिद्ध समाधानों को अपनाने में सहायता प्रदान करती हैं।

(ग) मंत्रालय ने आईसीसीसी और अन्य शहरी प्लेटफार्मों के माध्यम से एकत्र किए गए आँकड़ो के नैतिक, सुरक्षित तथा जिम्मेदार प्रबंधन में शहरों का मार्गदर्शन करने के लिए पीपल, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म के तीन स्तंभों पर आधारित एक व्यवस्थित व्यापक डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के रूप में डेटा स्मार्ट सिटी कार्यनीति विकसित की है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने एक विस्तृत संदर्भ मार्गदर्शिका "डिजाइनिंग ए सिटी डेटा पॉलिसी" जारी की है, जो डेटा श्रेणीकरण और वर्गीकरण, डेटा प्रवाह तंत्र, डेटा अभिलेखीय तथा अवधारण मानदंड, सुरक्षा एवं गोपनीयता प्रोटोकॉल और डेटा संग्रह, प्रसंस्करण, सहयोग तथा विश्लेषण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं जैसे प्रमुख घटकों की रूपरेखा तैयार करती है। निरंतर सुधार सुनिश्चित करने हेतु, मंत्रालय ने अपने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में स्मार्ट शहरों की प्रणालीगत और क्षेत्रीय परिपक्वता के स्तंभों पर शहरों का मूल्यांकन करने के लिए डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (डीएमएएफ) के कई चक्र भी आयोजित किए हैं। सामूहिक रूप से, ये दिशानिर्देश और रूपरेखा स्मार्ट शहरों को सुदृढ़ गोपनीयता मानक बनाए रखने तथा उनके डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में नागरिक डेटा के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाती है।

(घ) गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रगति पर चल रहे कार्यों का शहर-वार विवरण तालिका में दिया गया है

क्र. सं.	राज्य का नाम	08.12.2025 की स्थिति के अनुसार प्रगति रिपोर्ट
1	गुजरात	गुजरात में 6 शहर अर्थात अहमदाबाद, दाहोद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत और वडोदरा थे जिन्हें एससीएम के तहत चुना गया था। नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात राज्य ने 11507 करोड़ रुपये की 359 परियोजनाएं शुरू की, जिनमें से 11268 करोड़ रुपये की 356 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 99%) पूरी की जा

		चुकी हैं और 239 करोड़ रुपये की शेष 3 परियोजनाओं का अभी भी कार्यान्वयन चल रहा है।
2	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश के दो शहरों अर्थात धर्मशाला और शिमला को एससीएम के अंतर्गत चुना गया था। नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य ने 1552 करोड़ रुपये की 291 परियोजनाएँ शुरू की, जिनमें से 1294 करोड़ रुपये की 272 परियोजनाएँ (कुल परियोजनाओं का 93%) पूरी की जा चुकी हैं और 258 करोड़ रुपये की शेष 19 परियोजनाओं का अभी भी कार्यान्वयन चल रहा है।
3	राजस्थान	राजस्थान में 4 शहरों अर्थात अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर को एससीएम के अंतर्गत चुना गया था। नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान राज्य ने 8640 करोड़ रु. की 579 परियोजनाएँ शुरू की, जिनमें से 8548 करोड़ रु. की लागत की 575 परियोजनाएँ (कुल परियोजनाओं का 99%) पूरी की जा चुकी हैं और 92 करोड़ रु. की लागत की शेष 4 परियोजनाओं का अभी भी कार्यान्वयन चल रहा है।

*****